The Bill was, by leave, withdrawn.

The Girl Child (Elimination of Discrimination and Violation of Rights and other Welfare Measures) Bill, 2003

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:

That the Bill to eliminate the discrimination against the girl child by providing for the equal upbringing and remove of neglect by her parents or guardians and violation of her rights by marrying her off during her childhood and forcing her in begging, prostitution and other crimes by providing deterrent punishment for such violations and for welfare measures such as free and compulsory education including vocational education enabling her to enjoy her childhood and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair]

Sir, it is a national shame that the girl child is the most unwanted in majority of the families of our nation who prefer to eliminate even the foetus if it is of a girl child. Thousands of legal or illegal ultrasound clinics are functioning in the country, which are infamous as pre-birth sex determination test clinics. As happens in our Indian households, everybody wants a male baby and for this the services of the sex determination clinics are taken. If the foetus is that of a female, it is aborted as soon as possible. For this the consent of the mother is neither taken nor it is respected. In some cases, it is the mother who decides to eliminate the female foetus. This is common not only in illiterate poor families but it is more in educated and affluent families. In western countries, ultrasound is used to find out the deformity in the child to safeguard the child as well as the mother, but here in India they use ultrasound clinics to find out whether it is a female foetus so that it can be aborted. Though prenatal sex determination is illegal in the country, but who bothers about the law. This profitable nefarious business is increasing by leap and bounds resulting in steep decline in male-female ratio in the country, particularly in the northern and western regions of the country.

Sir, today, 16 States, more specifically, 70 districts and 23 cities in the country, have a shocking sex ratio. If this is not taken seriously, 15 years later, the effect of what we see today will surface as a social unrest.

As per the census of 2001, the female population has sharply declined in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and other States disturbing the male-female ratio. But, despite this, the female foeticide is going unhindered. The sharp decline in the female population is going to create various social problems. Recently I read in a newspaper that the young men of Haryana are searching their brides in the nearby States like Orissa or Tripura, and they even look for tribal girls from Jharkhand. In Punjab, I heard that three brothers are having only one common wife, like Draupadi of Maharashtra. This is, certainly, going to create a law and order situation, particularly of sex-related crimes. Sir, the Outlook weekly magazine of 27th February, 2006, carried an article titled 'Death becomes her'. It said, "Punjab has the worst sex ratio in the country. The female foeticide is at an alarming high. Again, the worst culprits are the affluent people."

According to a survey carried out in 2003, the sex ratio in different States was as follows: in Punjab, in 2003, it was 776 and, in 2001, it was 793; in Himachal Pradesh, in 2003, it was 803; but in 2001, it was 897; in Haryana, in 2003, it was 807 and in 2001 it was 820; in Uttar Prãdesh, in 2003, it was 853 and in 2001, it was 916. Likewise, in other States like Rajasthan, Bihar and Gujarat also, the sex ratio declined drastically. According to the research findings published in a British Journal 'Lancet', the female foeticide accounts at least half a million missing female birth in India every year, and it also says that at least 10 million female foetuses might have been aborted in India in the last two decades. Ten million female foetuses have been aborted in India in the last two decades!

Sir, in one of the villages in Punjab called Dhanduha, only one girl child has been born in the last six months, declining the sex ratio to 529 to 1000 boys. This female foeticide goes on with the active participation of the district Health Departments, the Government nurses and *Aayas*. According to the history, in the past, they used to kill the newborn girls to protect them from Muslim invaders who used to carry off girls as booty for their own pleasure or to sell them in the slave markets of the Middle-East. But, today, these female foeticides take place basically because of dowry. The parents of the girls are required to give a large amount of dowry when they have to get them married. So, they don't want to have any female child. Sometimes, the mother-in-law asks the daughter-in-law to give a male baby, as if she is manufacturing the baby. If not, she says that another wife would be brought to her son. With this fear in mind, that lady goes to an

ultrasound clinic to see whether she is carrying a male foetus or a female foetus. The moment she comes to know that it is a female one, then, she gets it aborted. Sir, recently, I read in one of the magazines what a lady professor said. She says, "I had five abortions", because she found all of them to be females. She wanted a male child. I did ask a few people about this. Some people say that they want to have a male child because he can look after them in their old age. How many male children are looking after their parents today? There are an umpteen number of old-age homes today because old parents are not being looked after. In Bangalore, I had been to an old-age home, just last month. I could see so many old people there. Some people were there because they could not adjust with their daughters-in-law and some were there because they could not adjust with their sons. One person said his son was abroad, in Australia, and he called him up to enquire about his health once in a year. These are the sorts of sons we have. And then, they want a male child! In some cases, people say they want to have a son to lit their funeral pyre after their death. I wonder whether, if the girl lit it, the pyre would burn or not; will it not go to ashes? I appreciate the Madhya Pradesh girl about whom I read in the newspapers two years ago. A person who had died had only two daughters. He had no son. They were searching for his nephew who could come and lit his pyre. In the meanwhile, the elder daughter said, "I will lit the pyre". She did it and the body burnt into ashes. For that matter, had anybody, whether a boy or a girl, lit the pyre, the body would have got burnt into ashes. So, it does not mean that only a son can lit the pyre and perform the funeral rites. A daughter can also do it.

Sir, a sharp decline in female population is going to create various social problems though our Government has recently amended the Pre-Natal Sex Determination Technique (Prevention) Act making punishment deterrent for pre-natal sex determination for which the much-needed lead was given by our esteemed leader, Shrimati Sonia Gandhi and also the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. But the implementation of the provision falls into the domain of the State Governments where the greed prevails. A deadly nexus between the Police, the ultrasound clinics and the families of pregnant women does exist and this nexus is responsible for the large-scale abortions of female foetuses in the country. The clinic owners claim that they do not conduct pre-natal sex determination tests, but the facts are otherwise. When a male foetus is detected, the family is greeted with 'Jai Sriram'. And if the foetus is female, the family is greeted with 'Jai Mata Di' and the female foetus is aborted within no time. So, the Police gets its

share and, therefore, keeps its eyes closed. So, for protecting the girl-child, the society has to be sensitised about the need of having a girl-child and the love and affection she shows towards her parents, her brothers or the house where she is born and brought up. I am sure many of us here having a girl-child will definitely know about the love and affection that a girl-child gives us.

Sir, it is a matter of serious concern that though there are lakhs of ultrasound clinics, only a few thousand of them are registered. The prosecution figures are also very negligible. So, a national awareness campaign has to be launched to save the girl-child. Sir, unfortunately, the steep decline in the male-female ratio has already started showing its results in the form of steep increase in the cases of rape committed on girls and women across the country. The National Capital has been dubbed as the rape capital because there is no safety of girls. Sir, rape is the most inhuman and heinous crime against women whose whole life is shattered due to the lust of some male who is a sex maniac. In a village called Durjanpur in Haryana, not one girl is seen outside the house. So, they are all tucked inside the house. The girls are kept inside. They do not let them out. The name of Durjanpur sounds bad. I think, 'Durjan' means bad. It means, place of bad people. But, Durjanpur is a place of good people; it is a prosperous village. Unfortunately, an incident of sexual exploitation of a student of IXth standard of a Government Secondary School took place there. That incident shocked the people. It made them angry. As a result, the people of that village did not let their girls come out of their houses because of the fear. The sexual harassment of a girl in a Government Senior Secondary School at Durjanpur comes to light when the girl becomes pregnant, and tells her parents about that. When the Government is doing its best to see that the girls are educated, they become economically independent, every girl becomes literate in the country, these things happen in a Girls' Government School. The Maths teacher and the Physical Training Teacher raped the girl in the school by telling her that they will promote her to the next class. When she became pregnant, she had to tell her parents what went wrong. The entire village was angry over this incident. Then, the culprits were arrested.

Anyhow, despite the best efforts of the families, if a girl child is born in a family, then, the discrimination starts. The boy is looked after in one way and the girl is looked after in a different way. The girl child is subjected to discrimination. The girl is forced to do household chores. The

boy is given the best education and the best food. The girl is not sent to a good school. If at all they send her to a school, she will be sent to a very ordinary school. She hardly gets good food to eat. She is considered as *'paraya dhan'* which means, the product of other house.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): She is called *'paraya dhan'*.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: I think, *'paraya dhan'* means, 'product of other house'. She is married early. Though child marriage is illegal, nobody bothers about that. The VIPs go to attend these marriages and bless the young couples. This is very unfortunate. Though we have laws, these are not enforced properly. Sir, I was shocked to read a news report that an hon. Minister in Madhya Pradesh blessed the child marriage in his presence. Though deterrent punishment is prescribed by enacting a law during the last session, it is to be seen how effective this law will be. This law too was enacted due to the lead taken by Soniaji, for which the entire nation is thankful to her. Sir, the mindset in the society has to be changed so that equality is given to a girl. Our new dynamic Minister for Women and Child Development, Shrimati Renukaji has the requisite will and guts to ensure that the girl child gets her due respect in the society. I wish her all the success in her endeavour to eliminate pre-natal sex determination tests and to get equal treatment to the girl child in the society.

Now, Sir, I am coming to another serious issue pertaining to the girl child, i.e., trafficking and commercial sexual exploitation of girl child in brothels, in and around important tourist destinations, hotels, etc. Sir, girl child trafficking is going on a very large scale in the country because a girl fetches more money from clients in comparison to women sex workers. The pimps and anti-social elements have, in fact, set up a network. The small and young girls are lured away from villages by promising them good jobs and good life. Here, they sell them and force them into flesh trade. Girls of tender age are also being smuggled from the neighbouring countries of Nepal, Bangladesh, etc., for commercial sexual exploitation. The gangs are active in the country who kidnap young girls and force them into flesh trade. Though tourism is very essential for our economy but some sections of domestic and foreign tourists are involved in sex abuse and this fact is an open secret in Goa, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa, Rajasthan and other tourist places. We cannot and should not doubt every tourist, but in Goa and other places, tourists are found in the company of young girls in the hotels. Many tourists were also apprehended but soon

they were out on bail and fled the country. The same tourists will be there after a few months. Reports suggest that some tourists were even prosecuted in other countries like Thailand, etc. but they have made Goa and a few other places as their favourite destinations so that they could get involved in child sex abuse. Of course not only the tourists but also the providers, namely, pimps and middlemen should be hanged and dealt with sternly. Sir, another worry is about the girl child born to sex workers who grows in such an atmosphere that she ends up becoming sex worker. So, I will request the hon. Minister to take care of the girl child born to a sex worker to ensure that she is saved from being another sex worker, by initiating welfare measures and educational prospects to her. Sir, another cause of worry about the girl child is that she is being abused even by her own people who are supposed to protect her, who are her kith and kin, relatives, cousins, etc. When she is abused by her near and dear ones, she is even forced not to disclose her abuse on the plea of social stigma. Even fathers, stepfathers are not sparing the young girls. In certain cases deterrent punishment, including capital punishment, can reduce this menace to some extent.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

I had last time said that such rapists should be castrated and left so that till they live it will remind them of their crime. Two days back there was a news item in the print media that a stepfather raped his stepdaughter while she was in sleep. Such people should be punished severely. Then comes the plight of the girl who is physically challenged, more so who is blind or mentally retarded who has to fight not only her handicap but also the abuse which she is subjected to. Special plans have to be prepared for them and implemented seriously. In short, the girl child is most unwanted, abused and most neglected one in our male dominated society. She has to be given protection, education, employment, and progressive opportunities to fight injustice.

Sir, I commend the Bill for consideration of the House.

The question was proposed.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति जी, सांसद श्रीमती प्रेमा करियप्पा जो बिल लेकर आई हैं, वह बिल हमारे वर्तमान की सच्चाई और समय की आवश्यकता है और यह बहुत ही अच्छा बिल है, इसलिए मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह सच्चाई है कि आज भी हमारे समाज में अधिकांशत: परिवारों में जब बेटी पैदा होती है, तो लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं और पूछने पर कि भई, घर में क्या हुआ है, बताया जाता है कि

खर्च बढ़ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इससे ऐसा लगता है मन में पता नहीं कितना बोझ है, लेकिन दूसरी तरफ भी हम देखें कि परिवार में जब बेटा जन्म लेता है, तो मिठाइयां बांटी जाती हैं, बधाइयां दी जाती हैं। आज भी शादी के बाद परिवार के लोग मंदिरों में जाते हैं, दुआएं मांगते हैं और पता नहीं कितनी पूजाएं और प्रार्थनाएं करेंगे कि घर में बेटे का जन्म हो। लेकिन बेटी के जन्म पर जो उत्साह होना चाहिए, वह पता नहीं कहां परिवार में नदारद होता है। कहने को तो सब लोग यह कहते हैं कि यह हमारी बेटी नहीं बेटा है, लेकिन बेटी के जन्म पर जिस तरीके की परिस्थिति हमें सामने दिखती है तो उससे ऐसा लगता है कि बेटी सबके लिए बड़ा बोझ है। जबकि यह सच्चाई है कि समाज का अस्तित्व बिना बेटी के कुछ नहीं है, फिर अनचाही संतान के रूप में उस बेटी को देखा जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि मां के गर्भ में जब बच्चा आता है, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की, उन दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए और दोनों की परवरिश समान रूप से होनी चाहिए। लड़कियों के जन्म की बेकदरी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत बार अभिभावक अस्पतालों में बेटी पैदा होने के बाद उसे अस्पताल में ही छोड़ जाते हैं। हमें एक-दो ऐसी घटनाओं की जानकारी है। उनकी दो-तीन बेटियां पहले से ही होती हैं तो वे उसको अस्पताल में ही छोड़ जाते हैं और उन्हें अनाथालय में भेजना पड़ता है। इस तरीके के हालात हमारे सामने आते हैं। पंजाब में तो पहला लड़का हो जाने के बाद दूसरा भी लड़का पैदा हो, यानी उसकी जोड़ी होनी चाहिए। जब कि पंजाब की गिनती देश के सबसे समृद्ध प्रांतों में होती है और वहां पर उन लोगों की ऐसी सोच है जिससे मन में बड़ी ग्लानि होती है। आज भी पंजाब में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ खर्च नहीं होता है। ऐसे ही कमोबेश हर एक प्रांत की स्थिति है। अभी बहन प्रेमा जी ने कहा है कि भ्रूण हत्या के मामले में हमारे सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन भ्रूण हत्या के विरुद्ध कई कानून होने के बावजूद भी इस पर रोक लगाने में हमें आज तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को जनसंख्या घटाने की उपलब्धि के लिए 'पॉपुलेशन पॉलिसी' एवॉर्ड दिया गया है। एवॉर्ड तो महाराष्ट्र सरकार को दिया है, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की है कि किसकी बलि चढ़ाकर उन्होंने यह जनसंख्या घटाई है। जाहिर है कि वहां पर बड़ी संख्या में बच्चियां कम हुई हैं। इसी तरीके से जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के जन्म पर सरकारी रिकार्ड दर्ज कराने में जो हमारी मानसिकता है यानी अभिभावकों की जो मानसिकता है, वह भी चिंताजनक है। उपसभापति जी, बेटों के जन्म को तो वे दर्ज करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, लेकिन बेटियों के जन्म को दर्ज नहीं करवाते हैं। अगर भविष्य में बेटियों को कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए तथा कोई कानून कार्यवाही न हो, इसलिए वे उनके जन्म को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाते हैं। यह भी बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। इसी तरीके से हमने देखा है कि शहरों की स्थिति में तो परिवर्तन आया है। लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेद है वह गांव में ज्यादा है और शहरों में कम है। आज भी बच्चियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, यानी कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी दस्तक नहीं दी हो या अपनी उपयोगिता को सिद्ध नहीं किया हो। अपनी जिम्मेदारियों में संतुलन रखते हुए दोनों तरह की चुनौतियों में यानी घर की जिम्मेदारी को उठाते हुए भी और बाहर जो उनके लिए चुनौती है, उस चुनौती का सामना भी करते हुए अपने लिए रास्ता बना रही हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी स्थिति वैसी की वैसी बरकरार है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। बहुत कम उम्र में बच्ची विधवा भी हो जाती है और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी कैसे बीतती है, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से कम

उम्र में शादी होने के बाद उनपर कम उम्र में ही मातृत्व का बोझ लाद दिया जाता है, जिसके कारण बहुत बार तो उनकी असमय ही मृत्यु हो जाती है और बहुत बार वे बच्चियां अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं।

यह सच बात है, जैसा उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ हमेशा मां-बाप की यह सोच रहती है कि बेटियों के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियों को इस परिवार से दूसरे परिवार में जाना है, इसलिए इनको ज्यादा पढ़ा-लिखाकर क्या करेंगे, घर की जो जिम्मेदारी आज वह संभाल रही है, वही जिम्मेदारी उसे कल को दूसरे घर में संभालनी होती है - इस तरह का भाव आज भी ग्रामीण अंचलों में है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण इन स्थितियों में परिवर्तन आया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसी तरीके से हमारे यहां पर देखा जाए तो 2 वर्ष से लेकर 12-14 वर्ष की बच्चियां, बलात्कार की शिकार होती हैं। उनकी जो उम्र पढ़ने की होती है, खेलने-कूदने की होती है, उसी उम्र में उन पर घर की जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं, उनको काम दे दिए जाते हैं, इससे बच्चियों के स्वास्थ्य पर असर होता है और वे आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हैं। जब उनके साथ इस तरीके के हादसे होते हैं, किसी तरह की अनहोनी होती है या कोई घटना घटती है, उनके साथ बलात्कार होता है या कोई दूसरी घटना घट जाती है, तो वह बच्ची उस समय यह महसूस करती है कि वह अपने पैरों पर इसलिए खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि बचपन में उसे शिक्षा नहीं दी गई।

उपसभापति जी, हमारे देश में इतने सारे संगठित और आपराधिक गिरोह हैं और बहुत सारे माता-पिता भी हैं, जो अपनी बच्चियों से भीख मंगवाते हैं। हम जब गाड़ियों में सड़कों पर जाते हैं, तो छोटी-छोटी, कम उम्र की बच्चियां ठक-ठक करके भीख मांगती और छोटी-मोटी चीजें बेचती नज़र आती हैं। इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। बहुत सी छोटी-छोटी बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य कर दिया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों को बाहर बेचा भी जा रहा है। मैं इसमें पढ़ रही थी कि हमारे यहां हर साल लगभग 8 लाख लोगों को सीमा पार से खरीदा और बेचा जाता है, इनमें से 80 प्रतिशत बच्चियां और महिलाएं होती हैं। देश के अंदर की सीमाओं में ये आंकड़े और भी बड़े पैमाने पर दर्शाए जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ऐसी कम उम्र की बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है और चूंकि बहुत सारे ग्राहकों से कम उम्र की बच्चियों के पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए जगह-जगह से, गांवों से ये बच्चियां kidnap की जाती हैं और कुछ केसेज़ में उनके मां-बाप भी शामिल होते हैं। ऐसी बच्चियां, ऐसी अभागी बालिकाएं, बहुत कम उम्र में ही घातक रोगों की शिकार हो जाती हैं। इसलिए प्रेमा जी, जो बिल हमारे सामने लेकर आई हैं, इस बिल का मैं समर्थन करती हूं। यह बहुत ही कल्याणकारी और अच्छा बिल है। हम सबका यह दायित्व बनता है कि बालिकाओं की जो उपेक्षा होती है, एक तो वह बंद होनी चाहिए, दूसरा उनकी पढ़ाई-लिखाई पर हमें ध्यान देना चाहिए, उनकी परवरिश, बेटों के समान होनी चाहिए और उन पर जो अत्याचार और शोषण होते हैं, उनसे हमें उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए और उन्हें बेटों के समान ही अधिकार दिए जाने चाहिए। वर्तमान में जिस तरह के कानूनी प्रावधान हैं, वे बच्चियों को और महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराने और उनको आगे बढ़ाने में नाकाफी साबित हुए हैं। इसलिए यह जो बिल प्रेमा जी लेकर आई हैं, इस बिल का मैं समर्थन करती हूं। अगर यह बिल बनेगा और बालिकाओं

के कल्याण के लिए कदम उठाए जाएंगे, तो उनके भाग्य में सुधार होगा। इतना कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

डा0 फागुनी राम (बिहार) : उपसभापति जी, महिलाओं के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है, क्योंकि महिलाएं हमारी सृष्टि की आधार हैं। हम लोग पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती की जो किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि -

"ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।"

इसी के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि -

"प्रथमं शैलपुत्रीच द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्।।
पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च।
सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्।।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता।"

उनको सिद्धिदात्री भी कहा गया है। इन्हें नौवें रूप में सिद्धिदात्री भी कहा गया है। जब हम व्यावहारिक रूप में देखते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि जहाँ हमारी शक्तियाँ हैं, सभी धर्मों में, खास कर हिन्दू धर्म में महिलाओं का नाम पहले लिया जाता है। क्योंकि नारायणलक्ष्मी नहीं कह कर लक्ष्मीनारायण कहा जाता है, शंकरगौरी नहीं कह कर गौरीशंकर कहा जाता है, कृष्णराधा नहीं कह कर राधाकृष्ण कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि पुरुषों के पहले उनको महत्व दिया गया है। अभी जब हम कोई साधारण निमंत्रण कार्ड भेजते हैं, तो श्री और श्रीमती नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं - श्रीमती और तब श्री। स्वयं को ही बाद में कहते हैं। आज भी प्रचलन में ऐसी बातें हैं। हम लोगों को इस पर ख्याल करना चाहिए। यह अच्छा है।

बालक और बालिका दोनों एक ही गर्भ से जन्म लेते हैं। दोनों का महत्व एक है। दोनों को पालने-पोसने में माँ को एक ही खून-पसीना और मेहनत एक करना पड़ता है। लेकिन जब कोई बच्ची जन्म ले लेती है, तो घर में थोड़ी उदासी आ जाती है और लोग कहते हैं कि लड़का नहीं हुआ। लड़का होने के लिए कई लड़कियों को जन्म दे देंगे, कि अब लड़का होगा, अब लड़का होगा, लेकिन यह भावना नहीं है कि किसी को लड़का बहुत हो रहा है, तो वह प्रतीक्षा करे कि हमारे घर में एक-दो लड़कियाँ हों। ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करता कि साहब, ऐसा किया जाए। इसमें यह बात कहना चाहिए।

सर, हम लोगों को बालक और बालिकाओं के प्रति अपना ध्यान बदलना होगा, मनोभावना बदलनी होगी, हम लोगों की दृष्टि उदार करनी होगी और समदृष्टि करनी होगी। क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं कि जब एक पुरुष पढ़ता है, तो एक आदमी पढ़ता है, लेकिन जब घर में एक महिला पढ़ती है, तो वह परिवार पढ़ता है। इस प्रकार महिला बच्चों को खिला कर, पढ़ा कर, सिखा कर, चढ़ा कर, बढ़ा कर स्कूल भेजती है और कुछ-न-कुछ पाठ पढ़ाती रहती है। यह कहा गया है कि "Family is the eternal school of all social life." प्रारम्भिक जीवन में घर सबसे बड़ी पाठशाला है। घर की पाठशाला में टीचर यानी प्राध्यापक महिला ही होती हैं, माता ही होती हैं। यह बात होनी चाहिए।

सर, हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं और सरस्वती को विद्यादायनी माता कहा गया है। सरस्वती के बारे में एक श्लोक है -

अपूर्वो कोओऽपि कोषोऽपि विद्यतेतव भारती
व्ययतो, वृद्धिमायाति, क्षयमायन्ति संचयात।।

हे सरस्वती, तुम्हारा खजाना बड़ा विचित्र है। क्या विचित्र है? सभी खजानों को खर्च करने पर वह घटता है और संचय करने पर बढ़ता है, लेकिन सरस्वती का यह विद्या रूपी खजाना ऐसा है कि इसे जितना खर्च किया जाए, यह उतना ही बढ़ेगा। अगर कुछ नहीं पढ़ाया जाए, इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाए, इस खजाने का, बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए, तो यह कम हो जाता है। ऐसे अपूर्व और विचित्र खजाने की जो हस्ती हो, वह कोई विद्यादायनी माता सरस्वती हों और वहाँ पर हम महिलाओं को कम महत्व दें, यह बात उचित नहीं जँचती। यह बात समानता पर नहीं आती। हम लोग भी शिक्षा में पढ़े हैं, तो शिक्षा में हम देखते हैं कि बालिकाएँ ज्यादा कुशाग्र बुद्धि की होती हैं। आप हिन्दुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में ऐसा देखिएगा, जहाँ भी हेड ऑफ द स्टेट महिलाएँ हुई हैं, उन्होंने पुरुषों से भी ज्यादा करके दिखाया है, अपना कमाल, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना पौरुष, अपना प्रशासन। उन लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। इसलिए उनको कम कहा जाना उचित बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

सर, आज के जो बच्चे हैं, "The child is the Father of the man." आज अगर बालिकाओं को मार दिया जाए, तो कल हमारी बहन कहने वाली कोई नहीं मिलेगी, अगर बहनों को मार दिया जाए, तो कल अर्धांगिनी, बहन कहने वाली कोई नहीं मिलेगी, अगर अर्धांगिनी को मार दिया जाए, तो हमें दादी और माँ कहने वाली कोई नहीं मिलेगी। यह महिलाओं के बारे में कितनी कारुणिक स्थिति है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। जैसे कि यह सृष्टि का आधार है। भगवान ने जब जन्म दिया, तो पहले मनु को जन्म दिया। इसके बाद सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने शतरूपा को जन्म दिया और उसी मनु-शतरूपा के हम सभी वंशज हैं। यहीं पर सृष्टि आती है। एक वंश चलाने के लिए, एक परम्परा चलाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों अपरिहार्य हैं। फिर उसकी संख्या कम क्यों, उसके प्रति उदासीनता की भावना क्यों, उसके प्रति नाराजगी क्यों, उसके प्रति दुर्भावना क्यों? हम बच्चे के जन्म लेने के पहले भ्रूण का टैस्ट कराते हैं और कन्या की बात पता होने पर कहते हैं कि इसे मार दिया जाए। अगर ऐसा होता रहेगा, तो हमारी सृष्टि रुक जाएगी, हमारा प्रचलन रुक जाएगा, हमारी माँ-बहन कहने के लिए, भाभी और दादी कहने के लिए कोई आदर्श नहीं मिलेगा, जिससे हम प्रेरणा ले सकें। सर, रक्षा बन्धन में एक बहन राखी बाँधती है। जब वह राखी बाँधती है, तो भाई के हाथ में राखी बाँधते हुए वह बहन कहती है कि मेरी उम्र भी भैया को लग जाए कि तुम जीओ, सौ जीओ, भैया ज्यादा ज्यादा जीओ। ऐसा उदाहरण पुरुषों के बारे में कहीं भी नहीं है। जो भाई के लिए इतनी उदार है कि एक सूखे धागे के नाम पर, अपनी भावना के नाम पर, एक प्रचलन के नाम पर रक्षा-बंधन मनाती है और उम्र में भाई को अपनी उम्र तक दे देती है। सर, हमारी बहनों का भाइयों के लिए ऐसा [illegible] है, इतना समर्पण, इतना त्याग और तपस्या है, इतनी अच्छी भावना है जिसका [illegible] में कोई नहीं है।

सर, पुरुष और नारी दोनों मजदूरी करते हैं, लेकिन पुरुष को समान काम के लिए ज्यादा पैसा मिलता है और महिलाओं को समान काम के लिए कम पैसा मिलता है। ऐसा क्यों

4.00 P.M.

होता है? मैं तो समझता हूं कि महिलाएं ही ज्यादा अच्छा काम करती हैं। पुरुष तो दूसरे कामों से इधर-उधर चला भी जाता है, लेकिन महिलाओं को जिस काम में लगा दिया, उस में वे ज्यादा काम करती हैं। आप देख रहे होंगे कि कल-कारखानों में महिलाएं और बाल श्रमिक बहुत मिलते हैं। हालांकि हमने इन दोनों को कानूनी प्रावधान के तहत निषेध कर रखा है, लेकिन चूंकि ये सस्ते मिलते हैं और महिला व बच्चे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वहां भी इन का उपयोग किया जाता है ताकि कम पैसे में ज्यादा काम हो सके और जो कारखाने चलाने वाले हैं, उन को अधिक प्रोफिट मिल सके। यह भी एक विचारणीय बात है।

सर, हम स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देते है और कहते हैं कि 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य हो। मैं समझता हूं कि यह अनिवार्य शिक्षा शुरू से ही अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि जब लोअर क्लास में एडमिशन हो, वहीं देखना चाहिए कि समान रूप से बालक व बालिकाओं की संख्या समान है कि नहीं। अगर वहीं संख्या समान नही होगी तो आगे जाकर जहां उन के क्लास छूटते जाते हैं, फिर आप संख्या कैसे समान कर सकेंगे? सर, हम जानते हैं कि "बुद्धि जस्य बलं तस्य, निर्बुद्धिस्य कुतो बलम्।" महिलाओं के लिए अगर कोई सबसे बड़ा बल है, अगर सब से बड़ी शक्ति है, सब से बड़ा अगर उन के लिए कोई आदर्श हो सकता है, उन के लिए सब से बड़ा आत्म-रक्षा का अगर कोई आधार हो सकता है, सब से बड़ा समाज कल्याण का कोई आधार हो सकता है, सब से अधिक परिवार कल्याण का आधार हो सकता है, अगर का आधार हो सकता है तो वह है महिलाओं का आत्म-ज्ञान। इसलिए उनका पढ़ना जरूरी है, उनका ज्ञानी होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए और यह विचार करना अनिवार्य है।

सर, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जैसे नौकरियों में, पढ़ाई में, टैक्नीकल में ताकि जहां शिक्षक हों, वहां शिक्षिकाएं भी हों। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ शिक्षिकाएं रहती थीं। वे जब क्लास में आती थीं तो लड़कियां यह कहकर दौड़कर आती थीं कि, "मैडम का क्लास है, मैडम का क्लास है।" इसलिए मैं समझता हूं कि लोअर क्लास में, प्राइमरी क्लास में, चाहे मिडल में, चाहे अपर में उन्हें रखा जाए। इस तरह मैं समझता हूं कि छात्राओं को उस से पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, उन को आत्मीयता दिखाई पड़ेगी। हम यह कहते तो बड़ी आसानी से हैं, लेकिन हमें अपनी भावना बदलना बहुत आवश्यक है। मैं एक धर्म शास्त्र पढ़ रहा था, उस में यह कहा गया है कि आप बच्चियों को, लड़कियों को देखिए, अपने से छोटे को देखिए तो अनुभव कीजिए कि यह मेरी बेटी है, अगर उम्र में बराबर वालों को देखिए तो समझिए कि वह मेरी बहन है, अपनी समान उम्र वालों को देखिए तो सोचिए कि वह मेरी बहन, पत्नी हो सकती है, मेरी भाभी हो सकती है और ज्यादा उम्र वाली महिला को देखकर मन में भाव आना चाहिए कि वह मेरी दादी हो सकती है, परदादी हो सकती है। यह जब भावना मन में आएगी तब नारियों का उत्थान हो सकेगा, तब उन का संरक्षण हो सकेगा क्योंकि सब से जरूरी चीज यह है कि हम उन के प्रति हमारी भावनाओं को ठीक रखें। उनको मानवता की हैसियत से ठीक रखना, उन को बराबरी की हैसियत से ठीक रखना और उन को बड़े की हैसियत से पूज्य मानना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है, "यत्र पूज्यंते नार्यास्तु, रमंते तत्र देवता, यत्र न पूज्यंते नार्यास्तु तत्र सकला फला निष्फला।" जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं और जहां नारियों की पूजा नहीं होती है, वहां सभी फल बेकार हैं। जैसा हमारे

धर्म शास्त्र में इतनी बड़ी बात कही गयी है, यह व्यावहारिकता में कहा गया है, सामाजिकता में कहा गया है वहां नारियों के प्रति हमारी भावनाएं ऐसी क्यों हैं? हम देखते हैं कि जहां पुरुष कोई काम नहीं कर सकता, वहां नारी सफल होती है। सर, देव असुर संग्राम में हम महिषासुरमर्दिनी की पूजा करते हैं, शुंभ-निशुंभ वध करने वाली दुर्गा मां की पूजा करते हैं, रक्त बीज वध करने वाली शक्तियां की पूजा करते हैं। वहां कहां देवता थे जिन्होंने इन असुरों का संहार किया? महिषासुरमर्दिनी दुर्गा बनकर, महाकाली, महालक्ष्मी, महादुर्गा बनकर, सरस्वती बनकर ही उन्होंने इन असुरों का संहार किया और मनुष्य की तो बात क्या देवताओं की भी रक्षा की, देवताओं को भी बल मिला। उन को लगा कि अगर ये देवी दुर्गास्वरूप में नहीं होती तो हम लोग रक्षित नहीं रहते। वे सब स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक में भाग गए थे। तो पाताल लोक से स्वर्गलोक दिलाना, मां दुर्गा का ही काम है कि देवताओं को फिर से स्वर्गलोक मिल सका। इसलिए हम जागरूकता के बारे में कहते हैं कि उन में जागरूकता होनी चाहिए।

सर, हम जानते हैं कि महिलाएँ शुरु में बच्चे का गर्भ में पालन करती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, तो लड़कपन में उसका पालन करती हैं, उसके दिशा-पैखाना को अमृत के समान समझ कर उससे कभी घृणा नहीं करती, बल्कि वे दुलार करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वही माँ धन्य है, जिसके आँचल में, जिसकी गोद में अपने बच्चे का पेशाब और पखाना पड़ा हो और जिसका आँचल गंदा हुआ हो। वही महिलाएँ अपने को धन्य कहती हैं। यह कहा जाता है कि यह सब बच्चे का प्रभाव है। अगर यह बच्चे का ही प्रभाव है, तो बच्चा और बच्ची में अन्तर कैसा? ये दोनों बराबर होने चाहिएँ। इनके प्रति समभाव होना चाहिए, समदृष्टि होने चाहिए। इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए कि हम एक-दूसरे के बारे में ऐसे विचार कर सकें।

सर, आज हम देखते हैं कि रेश्यो के हिसाब से हमारी महिलाएँ कम होती चली जा रही हैं। आखिर क्या होगा? आगे चल कर आखिर हिन्दुस्तान का या संसार का भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि आज कहीं पर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 700 महिलाएँ हैं, कहीं 900 हैं तो कहीं 800 हैं। जब 1000 में ही यह स्थिति है, तो जब हम लाखों-लाख की बात करते हैं, करोड़ों-करोड़ जनसंख्या की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारी महिलाओं की क्या स्थिति होगी? इसके बाद फिर पुरुष वर्ग की क्या स्थिति होगी? अपने घर में मां के रूप में, भाभी के रूप में या कोई आदमी अपनी पत्नी के रूप में किसे ला सकेगा, जब इस धरती पर इस सृष्टि में महिलाएँ ही नहीं होंगी? इसलिए मैं समझता हूँ कि सृष्टि को चलाने के लिए, सामाजिकता को चलाने के लिए, आत्मगौरव के लिए, एक परिवार को परिवार कहने के लिए, एक समाज को समाज कहने के लिए महिलाओं की बहुत जरूरत है, उनका रहना अत्यंत जरूरी है। इसके साथ ही उनका सम्मान जरूरी है, उनकी रक्षा भी जरूरी है और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए।

संस्कृत में लिखा हुआ है कि "मातृवत् परदारेषु", जिसका अर्थ है कि दूसरों की माता को, किसी दूसरे की पत्नी को या पराई औरत को माता की तरह देखो। इसी प्रकार के और भी कितने ही शब्द हैं, जो इस संबंध में कहे गए हैं। कहा गया है कि "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि", अर्थात् जननी एवं जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान हैं। महोदय, जहाँ पर इतने आदर्श हों, वहीं पर हम माताओं और बहनों को ऐसी दुर्भावना या विभेद की दृष्टि से देखते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा करके हम उनके प्रति न्याय नहीं करते हैं, उनका कल्याण नहीं

करते हैं और उनके प्रति सद्‌भावना नहीं रखते हैं। ऐसा करके हम सचमुच में समाज एवं देश के प्रति न्याय नहीं करते हैं, सद्‌भावना नहीं रखते हैं।

महोदय, मैं यह चाहूंगा कि उनके कल्याण के लिए जो कुछ भी सम्भव हो, किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में समानता दी जाए कि वे अनिवार्य रूप से पढ़ सकें। इसके बाद उनको नौकरियों में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नौकरियों में भी इस प्रकार का वातावरण बनाया जाना चाहिए कि नौकरी करने वाले पुरुषों और महिलाओं में किसी प्रकार का कोई विभेद न हो, ताकि किसी ऑफिस में जाने से कोई नारी संकोच नहीं कर सके। कोई लड़की अकेले रिक्शा पर, टेम्पो पर या गाड़ी पर या पैदल जाने में संकोच नहीं करे। उसके अन्दर यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जिस तरह से दूसरे लोग अच्छी तरह, सकुशल अपने घर पहुँच जाते हैं, हम भी उसी तरह बिना किसी व्यवधान के सकुशल घर पहुँच जाएँगी और कोई भी आदमी हमारे साथ कोई अत्याचार या भेद-भाव नहीं करेगा, हमारे साथ किसी प्रकार की कोई छेड़-छाड़ नहीं होगी, हमें कोई अपशब्द नहीं कहेगा और ये बातें तभी हो सकेंगी जब उनके प्रति हमारी भावनाएँ शुद्ध एवं पवित्र हो जाएँगी। यदि ऐसा हो जाएगा तो हम उनको कष्ट नहीं देंगे, उनकी राह में व्यवधान नहीं बनेंगे, बल्कि हम उनकी रक्षा करेंगे।

सर, इन्हीं शब्दों के साथ, मैडम करियप्पा जी, वह जो बिल लाई हैं, मैं उसका बहुत तहे दिल से समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि महिलाओं के प्रति सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के नियम बनें कि उनके प्रति समानता का व्यवहार रह सके और उनको भी फलने-फूलने के लिए प्रोत्साहन देने का समान मौका मिल सके। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Sir, first of all, I rise to thank Prema Cariappaji, Mrs. Maya Singhji and our esteemed brother, Faguni Ramji, for having raised this very crucial issue of the girl child, the discrimination that she suffers from, and the violation of her rights. I only wish there were more Members of Parliament who would have stayed back and addressed this issue. In some ways, the absence in this House reflects what is happening in our society today.

Sir, to a large extent, women are taken for granted. Nobody understood what Mahatma Gandhi saw so many years ago. Mahatma Gandhi said that when a woman could walk fearlessly in the middle of the night, only then would we have really attained true Independence.

Sir, what is the situation that we see today? We have horrifying facts; when we look at the statistics, we find that the girl children are selectively chosen and killed, that they are denied even the fundamental right to be born. You cannot imagine a more gross violation of human decencies and human rights. Why is it that a girl child is denied the chance to be born -- because she is viewed as an investment with no returns. कई

लोग यह सोचते हैं कि लड़की पैदा होने से यह पराया धन है, इसको पढ़ाने से हमें क्या फायदा है। इसको पढ़ा-लिखा कर नौकरी दिलाएं, तो वह जाकर अपने सास-ससुर की सेवा करेगी। हमें क्या फायदा होगा?

Sir, this was because of the property rights. Today, when there are no large land holdings, when there is further fragmentation of small land holdings, when women have come in to play their role, that kind of discrimination is outdated and really needs to be done away with.

Shri Rajiv Gandhi recognized the importance of women. Pt. Jawaharlal Nehru is on record where he had praised women and mentioned categorically the role that they played in the history of India and in India's future. Rajiv Gandhiji enshrined that into a Constitutional amendment, whereby today one million women are empowered to go to polls at the grassroot Panchayat levels. Why were these women given opportunities? Was it merely to replace men? Was it done only as populism, a tokenism? Not at all! It was done because it was recognized, and rightly so, that in order to have a really developed nation, to have an equitable society, you must involve, what is deemed as half the global population, fifty per cent, of women.

Sir, lack of a woman's point of view and perception has resulted in framing of laws, which have negated us and hurt us in our societal build up. Look at the kind of imbalance. Today, when India stands tall, showing a growth of 8.6 per cent in its markets, showing bullish trends in the share market, why is it that women are being killed again and again? Some of this has been a ritual and a practice. Most of this has been endorsed by movies, the visual media, superstition and blind beliefs in something that is simply not there. Today, children are being killed. Some States boast about it. कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चौड़ा होकर कहते हैं कि हमारे इस गांव से बीस साल से कोई डोली नहीं उठी है, जैसे यह कोई शान की बात है। And that they are proud to endorse that they would never bow their heads in front of another man because the daughter is not given, कि वे लड़की वाले होते हैं।

Sir, *amniocentesis* was a revolutionary breakthrough in medical care. Globally, there was a perception that women married later and then, their reproductive years quite often gave a genetic disadvantage where a child could be born with the Down's Syndrome. It is to remove that horrifying disease, or to be able to detect it, that this *amniocentesis* test was brought in, where the foetal fluid is taken in order to diagnose the disease. Instead, today, we have been forced to bring in the PMDT Act

which, as Shrimati Cariappa rightly pointed out, have shown woeful, poor and negligent results in any kind of prosecution, as a result of which people continue to murder small children, who have not even had the right to be born. It is *in-utero* murder as I view this PMDT facility, where parents are choosing their children, just as you would go to the market and choose your vegetables, or your toilet soaps or toothpaste. It is a sad statement on human values that a supposedly progressive India is showing today.

Sir, I would want all Members here to take a pledge with us today that each one of us will use our public offices to ban this heinous crime. We all know that under the IPC section even if you have not committed the murder but you are witness to a murder, you are liable to prosecution. So, how is it that when somebody murders a girl child, a society gets away with it, worse that they celebrate it? What is not known to many people is, today this is a great industry and business. To kill an infant child, families go to detection centres and they do not know that in the greed of earning that money, which they pay for the detection and nobody can afford to go for a second opinion, not only the girl children but even their sons are being killed and murdered in the hands of greedy practitioners who have misused this technology against the girl child. When you look at the poverty, illiteracy that is reigning in three-fourths of our country even today, how do we make it an equitable society by encouraging girls to come forward? How do we support and form structures which will protect the girl child from the time of her birth until the time of her natural death? आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक महिला की जिन्दगी क्या होती है? मुश्किल से कोख से अगर वह बाहर आ भी जाती है तो फिर उसको गरीबी ही मिलती है, नहीं तो उससे छोटे भाइयों की देखभाल के लिए उसको रखा जाता है। घर का खाना, गाय-भैंस के लिए चारा और उसके बाद उसको एक मुट्ठी खाना भी नहीं मिल पाता है।

SHRI R.K. DHAWAN (Bihar): Is it in Andhra?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: No, it is in other States. Andhra has done rather well in looking after their girl children, and I am happy to say that. You cannot have 'Andhra' everywhere. We ensure that ..*(Interruptions)*.. I have been in Parliament for 20 years and I have already brought in changes. Andhra was also the first State to introduce the equal coparcenary right. ..*(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : सब जगह की यह हालत नहीं है।

श्रीमती रेणुका चौधरी : जो अच्छी हालत है, उसके बारे में जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। जब हाथ की कोई उंगली जख्मी होती है तो हम उसी जख्मी उंगली की तरफ

ही देखते हैं और उसी का सहारा बनते हैं। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आज अपने देश के कई जिलों पर ये जख्म हैं। ऐसे कौन से जिले हैं? यह स्थिति क्या गरीबी में पैदा होती है, क्या अशिक्षा के कारण होती है? नहीं भाई साहब, तकलीफ, अफसोस और शर्म इस बात का है कि सो काल्ड ऐजुकेटिड, सो काल्ड डेवलप्ड और प्रोग्रैस्ड समाजों में यह हो रहा है। जहां दौलत और पैसे की हक्स में लोग रहते हैं और कमा भी लेते हैं, वे नहीं सह पा रहे हैं कि घर में एक लड़की पैदा हो, जिसकी हम देखभाल करें। तो यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा और मैं चाहती हूं कि आप सब हमारे साथ रहें। आज दिमागी तौर पर इनकी स्थिति और सोच-विचार को बदलने की जरूरत है। हमें पैसे वाले, पढ़े-लिखे, धन-दौलत वाले को समझाना पड़ रहा है कि don't kill your girl child. आज देश में ऐसी भयंकर स्थिति स्थापित हो गई है, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि जब मैं आंकड़े बताती हूं तो लोग चौंककर बैठ जाते हैं। पिछले दस साल में हमारी 10 मिलियन गर्ल्स चिल्ड्रन खत्म हो गई हैं, गायब हो गई हैं, यह पता ही नहीं कि वे कहां गईं, क्योंकि उनको पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया।

श्री आर0 के0 धवन : किसकी फिगर हैं ये?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: These are studies conducted by several magazines, including the *Lanset* magazine as well as our own studies have categorically showed this. Recently, in the *Outlook* magazine, it has been done by a journalist and these are the truths. अगर हर क्षेत्र में हर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर वहां के कलैक्टर से और लोकल DMHO से कहे कि जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है, उसको रजिस्टर किया जाए, तो इससे तुरंत पता चल जाएगा कि फुल टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुईं और बीच में कितने गर्भ गिरा दिए गए। क्या ऐसा कहीं पर हो सकता है कि एक गांव के अन्दर बीस-बीस औरतें प्रेग्नेंट हैं और पता चला कि एक ही लड़की पैदा हुई? कहीं पर अगर ऐसा फॉर्मुला है तब तो पूरी दूनिया हमारा दरवाज़ा खटखटाएगी कि हमें भी यह फॉर्मुला दे दीजिए, It is serious. I am raising the red alert. आज के दिन This is a red alert that the girl child is endangered. She is disappearing.

कई लोग शहतूश शॉल के लिए बहुत शोर मचाते हैं, कहते हैं कि इस चिरू जानवर को बचा लो क्योंकि अगर यह खत्म हो गया तो हमारे वातावरण पर, हमारी प्रकृति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। Yes, we should protect that. इसी प्रकार से हमने टाइगर्स के लिए भी रहम दिखाया है कि अगर हमारी दुनिया एवं हमारे देश से शेर गायब हो गया तो हमारी हिस्ट्री में या हमारे कल्चर में आज जहां गांवों के अन्दर शेर-नृत्य होता है, वहां के लोग वैसे ही तैयार हो कर नृत्य करते हैं, हमारे इतिहास एवं हमारी कहानियों में यहां तक कि हमारे गानों एवं लोरियों में भी शेर कितना शामिल है, लेकिन आज जब एक लड़की, एक औरत गायब होने जा रही है तो इस पर कोई नहीं सोचता, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। मैं श्रीमती प्रेमा करियप्पा जी की तारीफ करती हूं कि इन्होंने बिल्कुल सही समय पर इस बात को पहचाना और आज के दिन जितने मैम्बर्स हमारा साथ दे रहे हैं, it is important that we recognise we are in a state of red alert. There is a disappearing girl child and it is time for us to pick up measures and establish them to see that we can support the girl child. We have to change the mental attitude. जब एक औरत बोलती है, तो

उसकी आवाज़ को सुनने के तरीकों में भी फर्क होता है। जब एक औरत या एक महिला उन विषयों के ऊपर बोलती है, जो नॉन-ट्रेडीशनल होते हैं, तो चौंक कर लोग उसकी तरफ देखते हैं। अब तो आप इसे भी पलट कर देख लीजिए कि आज के दिन अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो देश में कहीं पर भी, किसी भी कॉम्पीटीटिव एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा कि हर जगह पर महिला प्रथम आ रही है, she is coming first. फिर वह चाहे आईएएस हो, आईएफएस हो, आईपीएस हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें महिलाएं सामने आ रही हैं।

आज जब हम पंचायती राज में भी महिलाओं को रिज़र्वेशन दे चुके हैं, तो पार्लियामेंट में रिज़र्वेशन देने के लिए यह देरी क्यों? हम किस बात से डरते हैं? क्या हम यह सोचते हैं कि महिलाएं आकर हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठेंगी तो हम हार जाएंगे और हमें बाहर छोड़ दिया जाएगा? हम यहां पर आ तो रहे हैं, लेकिन पुरुषों को रिप्लेस करने के लिए नहीं। यह फैसले, जो आप इस हाउस में लेते हैं, जब यहां से देश का इतिहास बनता है, जब आप कानून बनाते हैं और वही कानून सारे समाज पर लागू होता है, तो उस समाज के भागीदार या हिस्सेदार हम भी होते हैं। इसलिए जब कानून बनता है तो यह जरूरी है कि पुरुष की नज़र के साथ ही साथ एक महिला की दृष्टि भी उसमें जुड़ी रहे, आज इसकी बहुत जरूरत है। जब तक हम इस दृष्टि को नहीं जोड़ेंगे It can never be a sustainable, equitable society.

आज के दिन अगर आप दुनिया में देखें, तो यूएस और यूके की मैडिकल सर्विसिज़ में 36% there are Indians, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी है। नासा के सांइटिस्ट्स के इम्प्लॉएमेंट में भी 36% इंडियन्स काम करते हैं। दुनिया के आईटी सेक्टर में 31% भारतीय लोग लगे हुए हैं और जब हम 2020 तक पहुंच जाएंगे, तो इस दुनिया में One of every six citizens is going to be an Indian. इसलिए अगर हम उस दिशा में भाग रहे हैं, तो क्या हम महिलाओं का साथ लिए बिना वहां तक पहुंच सकते हैं?

अभी फागुनी जी ने ठीक कहा कि संस्कृत में एक शब्द है "सोऽहम", इसका मतलब यह है कि जिस भी नज़र या दृष्टि से आप मुझे देखते हैं, मैं वही बन जाती हूं। अगर आप हमें पूजते हैं, तो हम लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं और दुर्गा भी हैं। अगर आप मां कह कर पुकारेंगे तो आपकी मां भी हैं, बहन कहेंगे तो बहन हैं, इस तरह से हर दृष्टि में, समाज की हर पीड़ा में एक औरत ही सामने आती है। लेकिन समाज में होता क्या है? When society has any kind of aberrations, when there are natural disasters, when there are fall outs of industrialisation, when you talk about a globalised village, there is only a resultant feminisation of poverties. गरीबी हर तरफ से एक औरत को ही घेरती है क्योंकि आखिर वह एक औरत ही होती है जो यह सोचती है कि मैं एक समय का खाना बंद करके अपने बच्चों को खाना खिला दूं। जब भी सरकार समाज के अन्दर किसी कार्यक्रम को लागू करने जाती है, तो वहां पर उसके लिए औरत ही सामने आती है।

डा० फागुनी जी ने ठीक ही कहा कि एक औरत को अगर आप पढ़ाएंगे तो सारे परिवार को हम पढ़ाने वाले बनाते हैं और जब हम एक औरत को समझाते हैं तो हम दुनिया को समझ नहीं सकते हैं। Therefore, it is very important that we change our mindset.

मैं कोशिश कर रही हूं कि आने वाले दिनों में एक नेशनल कैम्पेन चला सकती हूं ताकि हमारे सारे देशवासी इसमें जुड़ जाएं 'Saving the girl child' is going to be a national mission where all of you will have to support me; all Ministries will have to give us some support from their gender budgeting. We have to change the mindset.

After 57 years of Independence, for a wonderful glorious country like India, it will be of something like international shame if we do not bring about gender equality and a gender-equitable society because with anything that is lopsided and extreme, you will never be able to bring about sustainable changes and development that we dream about as a nation going to stand as the first among equals. I was very happy to note that the previous speaker who replied to the hon. Member raised the issue of depiction of women in the visual media. यह भी बहुत जरूरी है। मैं खुद ही हैरान होती हूं- अगर ट्रक का टायर बेचने जा रहे हैं तो टायर के बारे में जिक्र करो, न कि उसके साथ आप आधा नंगी औरत की तस्वीर छापो। मैं हैरान हूं क्योंकि अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं गाड़ी तो कभी नहीं खरीदूंगी कि पुरुष की तस्वीर छपी है, उसकी वजह से मैं वह टायर खरीदूं। मैं टायर इसीलिए खरीदूंगी क्योंकि उसके रेट ठीक हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ठीक है, उसमें क्या है, वह इनफिलेटिवल है, नॉन इनफिलेटिवल ट्यूब वाली, बिना ट्यूब की है, स्टील रेडियल है, यह देखकर तो हम टायर खरीदेंगे। अगर आप किसी आदमी की तस्वीर वहां छापेंगे चाहे कोई भी हो, फिल्म स्टार भी हो, मैं तो खरीदने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सोचूंगी कि इस टायर में कुछ कमजोरी है, इसके प्रोडक्ट में कुछ कमी है इसीलिए तो लोग इसको डिस्ट्रेक्ट करने के लिए यह सब दिखला रहे हैं। मगर मैं हैरान हूं कि लोग सोचते हैं कि ट्रक और टायर बेचने के लिए आप महिला की आधी नंगी तस्वीर छाप दीजिए, तो उससे टायर बिकेगा और ट्रक बिकेगा। We have an IPC section, 'denigration to the status of women'. अगर आप कहीं अन-पार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल करके एक महिला को गाली देंगे तो आप कानूनी तौर पर गिरफ्तार हो सकते हैं because it is unparliamentary language and you are denigrating the status of a woman.

अफसोस इस बात का है कि यह कहीं लिखा नहीं है कि स्टेटस आफ वूमेन क्या चीज है। वह कौन सी स्टेटस सौंपी गई है और कौन सी पहचान है स्टेटस में। हां, यह अलग बात है कि हमारे कंस्टीट्यूशन में कोई फर्क नहीं पहचाना। आदमी और औरत को एक ही नजर से देख रहे थे। and, it is enshrined in our Constitution that we are equal. मगर यह जो कानून बनाए गए इतने साल से जहां पुरुष ही इकट्ठा होकर फैसला करें।...(व्यवधान)...

श्री आर0 के0 धवन : सर, ...(व्यवधान)...

श्रीमती रेणुका चौधरी : वह कौन मानते हैं, मजबूर होकर पैसा नहीं लेते, livelihood की बात है। मैं चाहती हूं कि आप एम0पी0 लैड से कुछ और स्कीम बनाएं जिससे औरत को मौका मिलेगा। So, we expect that we have to bring about

circumstances which empower women. What is it that empowers women? Knowledge is power.

प्रेमा करियप्पा जी ने ठीक फरमाया और उन्होंने यहां पूरी की [illegible]। उन्होंने कहा कि एलीमेंट्री एजुकेशन, यह तो सरकार ने कब की रेस्पांस [illegible], यह लागू हुई है और इस देश में हर बच्चे को हम चाहते हैं कि 2007 तक यह जो स्कीम चलने वाली है कि हमारे देश के सारे बच्चों को कुछ न कुछ बुनियादी पढ़ाई हो जाएगी, that is, free and compulsory education. इसको फ्री कर दिया है और कम्पलसरी भी कर दिया है। यह हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए कि हमारे क्षेत्रों में हम देखें कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तथा वहां टीचर्स हैं और उनकी पढ़ाई होती रहती है। इसके साथ-साथ हमने यह कंस्टीट्यूशन 86 अमेंडमेंट, 2002, इसमें नया आर्टिकल 21ए को इन्सर्ट किया है, इसमें फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन लागू हो जाती है और ऐसे इसके साथ-साथ यह फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के साथ जो बच्चे भूमिकस स्थिति में रह जाते हैं, रह जाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते हैं, छः से चौदह साल तक के इन बच्चों के लिए हम एक एक्ट ला चुके हैं, जो सब्स्टीट्यूट करेगा आर्टिकिल-45 with the directive to the State that it will provide early childhood care and education for all children. जहां माताएं काम करती हैं, वहां उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच का इंतजाम किया गया है। ऐसे ही हम सेकेंडरी एजुकेशन को ताकत दे रहे हैं, ताकि there will be a special attention on girls through various schemes which focus on improvement of science education, environmental education as well as technology, physical education, sports, etc. ऐसे ही डिपार्टमेंट में, हमारे मंत्रालय में आज के दिन एक National Charter for Children which has a section pertaining to girl child and empowerment of adolescents. This is a largely neglected area. Adolescent health and adolescent nutrition are shamefully found wanting. आज के दिन जब हमारी मार्केट में 8.6 ग्रोथ की फिक्र हो रही है, हमारे देशवासियों की, खासकर बच्चों की स्थीयत आप देखें, तो हम सबके सिर शर्म से झुक जाने चाहिए, because we have malnutrition as biggest shameful signpost of the lack of true development. यह बच्चों को बुनियादी तौर से हमें क्यों खिलाना पड़ता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये हमारे देश में नेशनल वर्क फोर्स बनते हैं और शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है कि इन बच्चों को खिलाना सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डिफीसियेंसी को करेक्शन करना है, मल न्यूट्रिशन को अन्दर इसे रिकवर करके स्टेबिलाइज करना है, तो the cost of feeding children is cheaper; it is 27 times more expensive to correct malnutrition in the national workforce. So, we have to collectively work to remove malnutrition under the ICDS, which is run by my Ministry. We have a special intervention, which was devised as early as 1991-92, where adolescent girls are being looked after. कहीं गरीब गांव में जानकारी कम होते हुए, मां-बाप लड़की को भूखा मार देते हैं और लड़के को खाना खिलाते हैं और इसको हटाने के लिए हम भिन्न-भिन्न तरीके अपना रहे हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं, ताकि गर्ल्स चाइल्ड को सस्टेन न्यूट्रिशन मिले और वे मल न्यूट्रिशन न हों, क्योंकि ये कल को मां बनने वाली हैं और अगर इनकी बुनियाद कमजोर होगी, तो ये कैसे बच्चों को पैदा करेंगी, इसके बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। ऐसे ही फीमेल foeticide को मना करने के

लिए प्रि-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नालॉजी एक्ट, 1994, इसमें कानून तो कई बन चुके हैं अब हम यह चाहते हैं कि हममें इतना बल हो, इतनी ताकत हो कि हम इसे लागू कर सकें। कई बार लोग हमारे पास सिफारिश के लिए आ जाते हैं कि बहन ऐसा हो गया है, आप फोन करके थानेदार को बोल दीजिए कि इनको छोड़ दे। क्या अपने घर में कोई किसी का खून करने वाले आयेंगे खूनी, क्या उनको माफ कर देंगे? क्या आप किसी खून करने वाले की सिफारिश करेंगे कि इस आदमी को छोड़ दीजिए। जवान लड़के की किसी ने अगर हत्या कर दी, तो हम सब कितना मातम करेंगे और कितना अफसोस होता है? मगर एक लड़की को आप मार देंगे, तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक आंकड़ा और जोड़ लेंगे। So, it is important for us. We have taken these steps in the Department of Women and Child Welfare, and we are also running a *Balika Samridhi Yojana,* which was launched in 1997, which will raise the status of the girl child in the families that are Below the Poverty Line. ऐसे कई कदम उठाये हैं। कल भी मेरी कुछ मेलजोल हुई थी सेक्स वर्कर्स के साथ, उनके लिए और उनके भविष्य के लिए the Immoral Traffic (Prevention) Act जो हमने जिक्र किये हैं। इसमें भी मैं चाहती हूं कि Members of Parliament may please contribute their opinions. I would be really appreciative if you were to voice your opinion. I am perfectly willing to have a separate meeting in the Annexe, where we can debate on these issues, because these will all become poll issues for all of us in the future, and we need to have a debate on these Acts which we are going to bring. ताकि आपकी राय से ही हम कानून लागू कर सकते हैं। वैसे ही हम इंडियन पीनल कोड में offences amongst others relating to exposure and abandonment of children under 12 years कैसी स्थिति हमारे देश में स्थापित हुई है कि एक मां चोरी-चोरी बच्चे को पैदा करके वहां छोड़कर भाग जाती है, कई माएं मजबूर होकर अपने बच्चे को बेच देती हैं और कई तो यह फैसला कर लेती हैं कि इसको पैदा ही नहीं होना था। ऐसे समाज को बदलने के लिए हम कई कदम उठा रहे हैं the Juvenile Justice Act, 1986 under the Child Marriage Restraint Act, 1929. कई बार हम लोग अपने पुराने कल्चर में आ जाते हैं और धोखा खाते हैं। आज भी तीज के समय पर राजस्थान में लोग जाते हैं, बड़े-बड़े नेता भी वहां जाते हैं, और वहां ढेर सारे बच्चों की शादी हो जाती है। यह उन दिनों में किया जाता था when we were largely illiterate. But to do it today in a literate society, it is going to be obscene. It is an untold obscenity. This is the real obscenity of a society thatहम पढ़े-लिखे लोग वोट लेकर, लोगों का अभिप्राय लेकर, वहां जाकर छोटे-छोटे मासूम बच्चों की शादी कर देते हैं? क्या वे शादी की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या वे समझ सकते हैं कि शादी की जिम्मेदारी क्या होती है? उन बच्चों का हां-ना में भी कोई लेना-देना नहीं होता। मां-बाप अपने-अपने फायदे के लिए इन बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं और उसी छोटी उम्र में लड़की मां भी बन जाती है और उसका कुछ लेन-देन नहीं है। To bring about equality among women, it is only recently that the rest of the country has caught up and brought up the amendment to the Hindu Succession Act where we had women to be equal to their brothers by bringing about coparcenary rights. Today, no brother can decide that हां, मेरी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा।

क्योंकि आज हम हकदार है, हमारा हक बनता है कि हमारे दादा-परदादा की जायदाद में हमारा भी हिस्सा होगा। These are small ways to bring about equality to the status of women and unless we can bring this about and unless we can bring employment and income-generating programmes for women, it will not improve. कई बार मैं देखती हूं कि आज तक, मेरे जैसी औरत के साथ भी यह होता है। गांव में मैं ट्रैक्टर चलाऊं तो बड़े-बुजुर्ग लोग आकर कंधा थपथपाते हैं कि शाबाश बेटी, तुमने ठीक किया। नए-नए ट्रेक्टर लाकर मेरे आगे रख देते हैं कि बहन आप यह ट्रेक्टर चलाकर देखिए, नयी गाड़ी है, हम आपके लिए लाए हैं, आप चलाइए। शहर में जो पढ़े-लिखे मेरे colleagues हैं, मैं समझती हूं इस हाउस में भी, इनकी किसी की मर्सडीज़ बेंज़ मुझे नहीं चलाने देंगे, चाहे मैं इन सबसे दस गुणा अच्छी गाड़ी चला लूं - मैं चलाती भी हूं, लेकिन शायद कोई तैयार नहीं होगा। सब हेलो रेणुका बोलेंगे, सब शेक हैंड करेंगे, लेकिन जब उनकी गाड़ी चलाने की बात होगी, तो लाखों की गाड़ी है, सोचते हैं कि औरत है यार, पता नहीं कहां टक्कर मार देगी। इनको देनी ही नहीं है गाड़ी। बहाना बनाकर टाल देते हैं। फिर दूसरी तरफ से यह कहते हैं कि 33 परसेंट पार्लियामेंट में रिज़र्वेशन - तौबा-तौबा - एक रेणुका चौधरी से इतनी मुसीबत झेल रहे हैं, बाकी के आने से क्या होगा?

श्री कलराज मिश्र : क्या आपको ऐसा लग रहा है?

श्रीमती रेणुका चौधरी : पता नहीं, आप ही कहिए न। कहिए, यह बात नहीं है। सर, हम चाहते हैं - आज फागुनी राम जी ने बोला - मैं चाहती हूं कि इस पार्लियामेंट में हर पुरुष खड़ा होकर बोले कि आप निडर हैं। क्या आप लोग डरते हैं कि औरत हाउस में आएगी 33 परसेंट में, तो आप पीछे हट जाएंगे? यह कमजोरी की निशानी है। कई ऐसे मुहावरों से भी मुझे बड़ी चिढ़ है जैसे आप कहते हैं कि हम क्या चूड़ियां पहनकर बैठे हैं? चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं हैं, चूड़ियां ताकत की निशानी हैं। सिर्फ एक महिला ही चूड़ियां पहन सकती है और उतार सकती है और उसमें आपकी आयु भी इसी के साथ जुड़ी रहती है। इसीलिए खास तौर से शादी करने से पहले एक औरत को बिठाकर चूड़ी चढ़ाते हैं। ऐसी पुरानी सोच-विचार, पुराने मुहावरों की वजह से हम भी शिकार बन जाते हैं और उसी जमाने की सोच-विचार हम चलाते रहते हैं कि औरत हो तो गाय-बकरी के ही स्टेटस में उसे देखा जाए। औरत को क्यों पढ़ाएं क्योंकि यह पराया धन है? औरत को अगर हम काम सिखाएंगे तो जाकर अपने सास-ससुर के घर कमाकर देगी, हमें क्या मिलेगा? जो मां-बाप यह सोचते हैं, जो मां-बाप दो लड़कों के बाप होते हुए भी चाहते हैं कि और दो भी हों। एक गांव वाले से मैंने पूछा, भैया, आपके तीन लड़के हैं, अब फिर आपकी वाइफ पेट से क्यों है? तो उसने कहा - बीबी जी, ऐसा है कि जब मैं मर जाऊंगा, तो इस गांव में अकेली मेरी ही लाश निकलेगी कि मेरे चार लड़के मुझे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, किसी और के कंधे चाहिए ही नहीं। आज के दिन तो ज्यादातर electric crematorium में पहुंच जाते हैं। वहां सिर्फ बटन दबाने की बात है।...**(व्यवधान)**...

श्री आर0 के0 धवन : वहां भी जाने के लिए चार आदमी चाहिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : नहीं, वहां म्युनिसिपालिटी होती है और किसने कहा कि औरत नहीं उठा सकती? किसने कहा? हां, Women are perfectly capable of doing it, and soon, there will be technology, and you don't need people to take you. तो मैं

कह सकती हूं, We have to bring about this change. आप चाहें, न चाहें, यह तो होने ही वाला है। बेहतर यही होगा, पार्लियामेंट और अपने देश में हर पुरुष को यही सोचना होगा कि वह इसका स्वागत करे, साथ दे, सहारा बने और यह पहचान ले कि एक समाज में औरत और पुरुष, जब तक हम दोनों, ईक्वल रेट पर ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो नुकसान हम सबका होगा, सिर्फ महिलाओं का नहीं। Can you imagine a society without women? Can you imagine abrasions that are going to come around? Shrimati Prema Cariappa, we support you in what you have said. We are there as a mission. This is going to be a life-long battle, which all of us are going to win collectively. यह जो वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है, यह क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग जो चलती है आज के दिन, यह गरीबी जो हमें मिटाए जा रही है, यह क्या है? यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ते हुए प्रेमा करियप्पा जी से कहूंगी कि कानून, सरकार और हमारा मंत्रालय, जो अभी-अभी नया बना है, हमने कई कदम उठाए हैं, जिनका मैंने ज़िक्र किया, इन कदमों को उठाने पर, We are empowered by the people of this country, who say, we, the people, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, "people" में पुरुष और महिला,दोनों शामिल होते हैं and all of us, who are elected to this Parliament are literally one in a million, in one billion population. So, approximately, 823 Members of Parliament must take the responsibility for literally a million people each, and unless in that million, we have men and women playing an equal role, we will never have an equitable society. With these words, Shrimati Prema Cariappa, I request you -- since all that you have so passionately put forward, all the support that you have asked for, have already been addressed under the various schemes -- I request you to kindly withdraw your Bill, and saying that, I say, you have my support always.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I thank the hon. Minister for giving a very satisfactory reply. I sincerely thank all the hon. Members who have spoken and supported this Bill. So, Sir, I withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE PUBLIC EMPLOYMENT (RESERVATION FOR WOMEN) BILL, 2005

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : सर, लोक नियोजन में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक, 2005 - मेरे द्वारा लाए इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

उपसभापति जी, हमारी कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है, लेकिन लोक नियोजन में उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल न के बराबर है, नगण्य है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर महिलाएं जो हैं, वे घरेलू जिम्मेदारियों से इस तरीके से बंधी होती हैं, घरेलू जिम्मेदारियों का भार उनके ऊपर इतना होता है कि उनके पास शिक्षा, ज्ञान और क्षमता - सब कुछ होते हुए भी वे लोक नियोजन में आने में असमर्थ रहती हैं। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश महिलाएं अभी भी सामाजिक और